:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक:-स्थापना/सैटअप/मृ.आ./64871-914 दिनांक :- 17/3/17

-:-परिपत्र-:-

प्राय यह देखने में आया है कि विभाग में कर्मचारी की मृत्यु होने पर कर्मचारी के मृत्यु दिनांक को पदस्थापित कारागृह द्वारा मृतक आश्रितों द्वारा किये गये आवेदन पर केवल एक प्रार्थना पत्र या फिर अपूर्ण आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाता है। जिसमें ना तो कोई सत्यापन हेतु दस्तावेज संलग्न कर प्रेषित किये जाते है और ना ही आवेदन एवं सत्यापन प्रपत्र की पूर्ति कर भिजवाया जाता है।इस प्रकार अपूर्ण प्रकरण इस कार्यालय में भिजवाये जाने पर संबंधितों को अनुकत्पात्मक नियुक्ति दिये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है। प्रकरण की पूर्ति करवाये जाने हेतु बार-बार पत्राचार किया जाता है, जिसके पश्चात भी पूर्ण प्रकरण प्राप्त नहीं होते है, जिससे नियुक्ति में समय लगता है।राज्य सरकार के मृतक कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 की मंशा है कि मृतक कर्मचारी के आश्रितों को शीघ्र नियुक्ति दी जाकर परिवार को राहत प्रदान की जावे।

अत: आपको निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में आपकी कारागृह पर पदस्थापित कर्मचारी की मृत्यु होने पर निम्नानुसार आवेदन प्रपत्र मृत्यु दिनांक से निर्धारित समयावधि 90 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में पूर्ण रूप से तैयार कर भिजवावें :-

1. कर्मचारी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित के स्थाई एवं वर्तमान निवास के पते पर पत्र द्वारा आवेदन एवं सत्यापन प्रपत्र प्रेषित कर यहं अंकन किया जावे कि यदि मृतक का कोई आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति चाहता है तो मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि के अन्दर-अन्दर आवेदन पत्र की पूर्ति कर आपके कार्यालय में प्रस्तुत करें और यदि नियुक्ति नहीं चाहता है तो सूचित करें।
2. आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं सत्यापन प्रपत्र के समस्त बिन्दुओं/कॉलमों की पूर्ति करावें साथ ही आवेदक के सत्यापन संबंधी दस्तावेज जैसे शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रमाणित प्रति संलग्न करावें।
3. मृतक की पत्नी/पति का आवेदन पत्र जिसको अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिलाना चाहता/चाहती है, एवं मृतक के समस्त आश्रितों के शपथ पत्र कि आवेदनकर्ता श्री(........) को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने में उन्हे कोई आपत्ती है अथवा नही।
4. आवेदन कर्ता का शपथ पत्र कि उसके द्वारा मृतक के समस्त आश्रितों का उचित भरण पोषण किया जावेगा यदि भरण पोषण नहीं किया जाता है तो उसकी सेवाऐं समाप्त कर दी जावे।
5. मृतक के परिवार का कोई भी आश्रित सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/ निगम जो पूर्णत: या भागत: राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित नहीं है का शपथ पत्र।
6. यदि आवेदन कर्ता या मृतक का कोई परिवार का सदस्य विवाहित है तो उसकी पत्नी का केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/ निगम जो पूर्णत: या भागत: राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित नहीं है का शपथ पत्र।
7. परिवार की सभी स्त्रोतो से (यथा कृषि, पेंशन, मजदूरी, मकान किराया आदि) मासिक आय का शपथ-पत्र।

निरन्तर..

8. नियमित एवं निरन्तर सेवा का प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि स्व. श्री .... पद.......... कारागृह........ की सेवाभिलेख के आधार नियुक्ति तिथि......... से मृत्यु दिनांक .... तक की अवधि के दौरान सेवायें नियमित व निरन्तर रही है एवं स्वीकृत स्ट्रेंथ से नाम पृथक किये जाने के आदेश की प्रति।
9. यदि आवेदक विवाहित है तो विवाह पंजियन प्रमाण पत्र नियुक्ति दिये जाने से पूर्व उसकी आवश्यकता होगी, जो पृथक से भी इस कार्यालय को प्रेषित किया जा सकता है।
10. आवेदन कर्ता की फोटो प्रभारीअधिकारी द्वारा प्रमाणित की जावे, आवेदन पत्र के भाग संख्या 3 एवं भाग संख्या 5 में साक्ष्य प्रमाणित करने वाले दोनों गवाहो के पूर्ण पते एवं हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करवाये जावें। भाग संख्या 4 एवं 5 की पूर्ति इस कार्यालय द्वारा की जावेगी।

(अजीत सिंह)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर। (संलग्न आवेदन एंव सत्यापन प्रपत्र)
2. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी/ केन्द्रीय/ जिला कारागृह, राजस्थान(संलग्न आवेदन एंव सत्यापन प्रपत्र)
3. अधीक्षक उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर। (संलग्न आवेदन एंव सत्यापन प्रपत्र)
4. उपाधीक्षक महिला बंदी संधार गृह, जयपुर। (संलग्न आवेदन एंव सत्यापन प्रपत्र)
5. अधीक्षक महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
6. प्रभारी संस्थापन शाखा प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं चतुर्थ महानिदेशालय कारागार जयपुर। (संलग्न आवेदन एंव सत्यापन प्रपत्र)
7. प्रभारी कम्प्यूटर लैब शाखा महानिदेशालय कारागार जयपुर को उक्त आदेशो की प्रति विभागीय बैवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

आवेदन का प्रारूप

भाग (1)

1 मृतक राज्य कर्मचारी का नाम व पद

2 निधन की दिनांक एवं स्थान
(मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3 विभाग का नाम जिसमें वह मृत्यु के समय
कार्यरत था

4 मृत्यु के समय धारित पद तथा उसका
वेतनमान

5 नियुक्ति का प्रकार (स्थायी / अस्थायी)

6 राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति का दिनांक

7 मृतक राज्य कर्मचारी के सदस्यों का विवरण

(केवल परिवार के सदस्यों के ही नाम लिखे जावें)

क.सं.	नाम	मृतक से संबंध	जन्म दिनांक एवं आयु	शैक्षणिक योग्यता	विवाहित / अविवाहित	मासिक आय रु0 में
1						
2						
3						
4						
5						
6						

नियम 10 (3) में यथा वर्णित शपथ–पत्र संलग्न करें।

भाग (2)

राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले आश्रित का विवरण

1 नाम

2 आयु एवं जन्म तिथि

3 शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4 मृतक राज्य कर्मचारी से संबंध

5 आवेदित पद का नाम व वेतनमान

आवेदक की फोटो जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर एवं प्रमाणित हो

स्थाई पता–

आवेदक के हस्ताक्षर

भाग (3)

मैने आवेदक के भाग (1) व (2) में उल्लेखित सूचना पढ ली है। भली प्रकार सुन ली है। आवेदक को नौकरी दिये जाने हेतु मेरी/अन्य आश्रितो की सहमति है। जिसके समर्थन में मेरा/अन्य आश्रितों का शपथ पत्र संलग्न है।

साक्ष्य (हस्ताक्षर एवं स्पष्ट नाम पता सहित)

(1) ....

....

(2) ....

....

विधवा के हस्ताक्षर

भाग (4)

विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :–

(1) आवेदन--पत्र विभाग में दिनांक .... को प्राप्त हुआ है जो कि डायरी संख्या .... व दिनांक .... पर दर्ज है।

(2) आवेदन--पत्र में अंकित सूचनाऍ मृतक कर्मचारी की सेवा अभिलेख के अनुसार सही है। नियमों के अनुसार आवेदक आवेदित पद .... पर नियुक्ति का पात्र है।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष

(मय कार्यालय सील)

भाग (5)

• विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र यदि आवेदन पत्र अन्य विभाग को भेजा जाना है।

प्रमाणित किया जाता है कि :–

(1) आवेदक आवेदित पद पर नियुक्ति का पात्र है किन्तु यह पद .... विभाग में नही है। अतः आवेदन पत्र .... को अग्रेषित किया जा रहा है।

(2) मृतक कर्मचारी के निधन के पश्चात आज तक उसके स्थान पर किसी भी आश्रित को किसी भी पद पर नियुक्ति नही दी गई है।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष

(मय कार्यालय सील)

आवेदक का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र के भाग 1 व 2 में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है। यदि भविष्य में कोई भी तथ्य असतय पाया जावे तो मेरी सेवाऍ समाप्त की जा सकेगी।

साक्ष्य (हस्ताक्षर एवं स्पष्ट नाम पता सहित)

(1) ....

....

(2) ....

....

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन प्रपत्र

1.	पूरा नाम, उर्फ, यदि कोई है । (कृपया यह भी अंकित करें यदि आपने किसी स्तर पर अपने नाम अथवा उप नाम के किसी हिस्से को परिवर्तित किया है / छोड़ा है / जोड़ा है ।	नाम उप नाम
2.	वर्तमान पूरा पता : मकान नं. ...., गली / मार्ग.. मोहल्ला.., गांव.. पोस्ट आफिस.., थाना .... जिला–.., राज्य..	
3.	स्थाई निवास का पूरा पता : मकान नं. ...., गली / मार्ग.. मोहल्ला.., गांव.. पोस्ट आफिस.., थाना .... जिला–.., राज्य..	
4.	उन स्थानों का विवरण जहां आप गत पांच वर्षों में एक से अधिक वर्ष तक रहे	निवास का पूरा पता – गली / मोहल्ला / मार्ग, थाना, गांव / शहर, जिला
	अवधि :	
	दिनांक से तक	
	दिनांक से तक	
	दिनांक से तक	
	दिनांक से तक	
	दिनांक से तक	
5.	पिता का पूरा नाम :	....
	वर्तमान डाक का पता :	....
	पिता का स्थाई निवास स्थान का पता:	....
6.	अभ्यर्थी की जन्म की सही दिनांक:	....
7.	जन्म का स्थान :	गांव / शहर........................जिला........................ राज्य ....
8.	(क) धर्म अंकित करें	....

	(ख) क्या आप अनुसूचित जाति / जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं हॉ अथवा नहीं में उत्तर देवें। यदि उत्तर हॉ है तो अनुसूचित जाति / जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम अंकित करें ।	....		
9.	शैक्षणिक योग्याएं– शिक्षा का स्थान, अवधि तथा स्कूल / महाविद्यालय / विश्व विद्यालय का पूरा नाम	प्रवेश दिनांक	छोड़ने की दिनांक	उत्तीर्ण की परीक्षा
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
10.	यदि आप कभी नियोजित रहे हैं तो विवरण अंकित करें ।			
	पदनाम या पद तथा कार्य का विवरण	अवधि कार्यालय / फर्म / संस्था का पूरा पता		
11.	(क) क्या आपके विरूद्ध थानें अथवा न्यायालय में कोई फौजदारी / आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है ? यदि हां तो प्रकरण का पूर्ण विवरण एवं वर्तमान स्थिति का विवरण अंकित करें	....		
	(ख) क्या आपको किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारां दंड़ित किया गया है? यदि उत्तर हां में है तो दण्ड एवं सजा अवधि का पूर्ण विवरण देवें ।	....		
12.	अपने क्षेत्र के दो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम एवं पूर्ण पता अंकित करें जो आपको जानते हों ।	(1) (2)		

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर लिखी हुई सूचनाएं मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं अगर इनमें से कोई सूचना गलत पाई गई तो मैं राज्य सेवा से बर्खास्त किये जाने के लिये उत्तरदायी होऊंगा ।

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

(किसी भी सरकारी / बोर्ड / संस्थान के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करावें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री / श्रीमती / कुमारी / ....

पुत्र / पुत्री / पत्नी / ....को गत ....वर्षों / महीनों से जानता हूँ एवं इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना सही है ।

हस्ताक्षर मय सील